उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या- 5/2026/300/सैंतालीस-का-1-2026-13(5)/2021
लखनऊ:: दिनांक 18 मई, 2026

दिनांक 18 मई, 2026 को प्रख्यापित ''उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (बाईसवां संशोधन) विनियम, 2026'' की प्रति निम्निलखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।
10. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी।
11. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ ।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
14. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड-क में दिनांक 18 मई, 2026 की तिथि में प्रकाशित करते हुए मुद्रित अधिसूचना की 1000 प्रतियां कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

अवनीश सक्सेना
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 5/2026/300/47-ka-1-2026-13(5)/2021 Dated 18 May, 2026

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL SECTION-1

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 5/2026/300/47-ka-1-2026-13(5)/2021
Dated Lucknow 18 May, 2026

In exercise of the powers conferred by the proviso of clause (3) of Article 320 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amending The Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1954:

The Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) (Twenty Second Amendment) Regulations, 2026

Short title and commencement	1.	(1)	These regulations may be called The Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) (Twenty Second Amendment) Regulations, 2026
		(2)	They shall come into force at once.
Insertion of clause E in regulations 3	2.		In the Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1954 in regulation 3, after clause D, the following clause E shall be inserted namely:-

Sl.No.	Name of Department	Designation	No. of post
1.	Sports	Sports Officer	09
2.	Youth Welfare	District Youth Welfare & Provincial Development Team Officer	03
		Total-	12

By order,

M. Devaraj
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-5/2026/300/सैंतालीस- का-1-2026-13(5)/2021
लखनऊ : दिनांक : 18 मई, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (बाईसवां संशोधन) विनियम, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह विनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (बाईसवां संशोधन) विनियम, 2026 कहा जायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

विनियम 3 में खण्ड (ड.) का बढ़ाया जाना 2- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 में, विनियम-3 में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ड.) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः-

क्र0सं0	**विभाग का नाम**	**पदनाम**	**पदों की संख्या**
1	खेल	क्रीड़ाधिकारी	09
2	युवा कल्याण	जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी	03
		कुल योग	**12**

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।